

**कार्यालय-वन संरक्षक शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून।**

पत्रांक:-1550 / 12-1

दिनांक

02 नवम्बर, 2025।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :-

मा० मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या-210/2013 के अन्तर्गत जनपद-देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर काण्डोई मदर्स मार्ग का नवनिर्माण हेतु 1.61 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण (Online Proposal No-FP/UK/ROAD/126434/2021)

सन्दर्भ :-

आपका पत्रांक- 754/12-1 दिनांक- 06/10/2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक- 1121/12-1 दिनांक- 31/10/2025 से वन संरक्षण एवं संवर्द्धन अधिनियम 1980 यथासंशोधित 2023 में निहित प्राविधान के बिन्दु संख्या-11 Creation of Compensatory Afforestation के आलोक में अपनी आख्या निम्न प्रकार प्रस्तुत की गई है:-

"Provided that in case the non-forest land or portion thereof provided by the user agency is not fit for raising compensatory afforestation of a specified density, then additional compensatory afforestation shall be raised on a degraded notified or unclassed forest land under the management control of the Forest Department which is twice in size of such shortfall in the given compensatory afforestation land and the user agency shall also bear the additional cost on such account" उपरोक्तानुसार वन संरक्षण एवं संवर्द्धन अधिनियम 1980 यथासंशोधित 2023 के प्राविधान अनुसार यदि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि या भूमि का कुछ हिस्सा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो तदोपरान्त अनुपयुक्त क्षेत्र का दो गुना क्षेत्र आरक्षित अवन्त भूमि में चयन किया जायेगा।

उक्त प्रकरण में क्षतिपूरक वनीकरण के लिए पूर्व स्थान पर राजस्व विभाग द्वारा (संलग्नक- प्रमाण पत्र के अनुसार) ग्राम- गुठाडखत बौन्दूर तहसील चकराता के खसरा संख्या- 2007 क्षेत्रफल- 68.860 है० में से 3.220 है० भूमि चयनित की गई है जिसका वन विभाग राजस्व एवं प्रस्तावक विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया है तथा यह भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गई है।

अतः अनुरोध है कि क्षतिपूरक वनीकरण के लिए चयनित भूमि के अनुसार ही प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में विचार करना चाहें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजीव धीमान)

वन संरक्षक,

शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक :1550/12-1 ,तददिनांकित।

प्रतिलिपि-

प्रभागीय वनाधिकारी कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी को उनके कार्यालय पत्रांक- 1121/12-1 दिनांक- 31/10/2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(राजीव धीमान)

वन संरक्षक,

शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

(प्रपत्र-43)

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0-210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर-काण्डोई-मदर्सू मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.610 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0-210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर-काण्डोई-मदर्सू मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.6100 हे0 वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित होनी प्रस्तावित है। प्रत्यावर्तित होने वाली 1.610 हे0 वन भूमि के बदले दुगनी अवनत भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राजस्व विभाग द्वारा ग्राम-गुठाडखत बौन्दूर तहसील चकराता जिला-देहरादून के खसरा सं0-2007 क्षेत्रफल-68.860 हे0 में से क्षेत्र 3.220 हे0 भूमि चयनित की गई है। जिसका वन विभाग, राजस्व विभाग एवं प्रस्तावक विभाग द्वारा दिनांक-20.07.2024 में संयुक्त निरीक्षण किया गया है। यह क्षेत्र रिखनाड़ रेंज चकराता, वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत आता है। चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त पाया गया है।

अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
देहरादून

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
देहरादून

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी
रिखनाड़ रेंज,
नाडा

उप-प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग,

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग,

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी उप वन प्रभाग,
कालसी

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग
कालसी

जय्या लाल शर्मा
सा0उ0नि0/थानाध्यक्ष
क्षेत्र लाखाना
तहसील चकराता (देहरादून)